



2026:AHC: 3336

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19575 वर्ष 2025

प्रमोद कुमार शर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल चंद्र श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल चंद्र श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निवेदन किया कि हालांकि पहली प्रार्थना दिनांक 27.03.2025 के आरोप पत्र को रद्द करने के लिए है, लेकिन वह उक्त प्रार्थना को छोड़ते हुए दूसरी प्रार्थना पर बल देते हैं कि कार्यवाही को समयबद्ध अवधि के भीतर समाप्त किया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ता को उचित अवसर देते हुए उक्त कार्यवाही को तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त करें।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश